पत्रांक–कारा/बजट (मंडल)–03–16/2016 2302

बिहार सरकार
गृह विभाग
(कारा)

प्रेषक,

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी काराधीक्षक,
मंडल कारा।

पटना, दिनांक– 14/4/2016

विषयः– **विभागीय ज्ञापांक–08 दिनांक–02.04.2016 द्वारा निर्गत आवंटन की निकासी की अधिसीमा निर्धारित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– वित्त विभाग के ज्ञापांक–एम–4–09/2014–2793/वि0, दिनांक–04.04.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय द्वारा आवंटन आदेश संख्या–08, दिनांक–02.04.2016 द्वारा प्रावधानित बजट राशि में से विभिन्न आकस्मिक मदों यथा आहार/पथ्य, दवा भंडार, समाग्री एवं पूत्तियाँ एवं वाहन का ईधन एवं रख–रखाव मद के कुल वार्षिक आवंटन का लगभग 50 प्रतिशत एवं अन्य आकस्मिक मदों में लगभग 80 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी है।

2. इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापांक–एम–4–09/2014–2793/वि0, दिनांक–04.04.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–02 में प्रावधानित नियम के आलोक में वित्तीय वर्ष–2016–17 में प्रावधानित बजट का 33 प्रतिशत राशि माह जुलाई तक व्यय किया जाना है।

3. (क) अतः इस आलोक में निदेश दिया जाता है कि आवंटनादेश संख्या–08, दिनांक–02.04.2016 के निम्नलिखित मदों में आवंटित राशि की 65 प्रतिशत राशि ही जुलाई, 2016 तक निकासी की जा सकेगीः–

क्र0 संख्या	कुट संख्या एवं मद का नाम
1	21 03 आहार/पथ्य,
2	21 02 दवा भण्डार
3	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ,
4	13 01 कार्यालय व्यय,
5	13 02 वाहन का ईधन एवं रख–रखाव

(ख) साथ ही आवंटनादेश संख्या–08, दिनांक–02.04.2016 के निम्नलिखित मदों में आवंटित राशि की 40 प्रतिशत राशि ही जुलाई, 2016 तक निकासी की जा सकेगीः–

क्र0 संख्या	कुट संख्या एवं मद का नाम
1	13 03 दूरभाष,
2	13 04 विद्युत प्रभार,
3	13 06 वर्दी पोषाक,
4	14 01 किराया महसूल एवं कर

4. निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त कंडिका– 3 में वर्णित अधिसीमा के अंतर्गत ही राशि की निकासी करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–02 एवं अन्य कंडिकाओं का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट–(मं0)–02–03/16....2302.... पटना, दिनांक–..14../..4../2016

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचंद्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट–(मं0)–02–03/16....2302.... पटना, दिनांक–..14../..4../2016

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट–(मं0)–02–03/16....2302.... पटना, दिनांक–..14../..4../2016

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा/बजट–(मं0)–02–03/16....2302.... पटना, दिनांक–..14../..4../2016

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

(52)

पत्र सं०-एम-4-09/2014................./वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रवि मित्तल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक-...............

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में ।

महाशय,

वित्त विभागीय पत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 में प्रावधान है कि सभी प्रशासी विभाग/नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा योजना तथा गैर योजना मद के अन्तर्गत अपने विभाग से संबंधित सभी शीर्षों में चार-चार माह की अवधि के लिये अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिये निम्नांकित प्रकार से राशि का आवंटन किया जायः-

(क) पहली अप्रील से 31 जुलाई तक बजट से प्रावधानित राशि का 33 प्रतिशत

(ख) पहली अगस्त से 30 नवम्बर तक बजट में प्रावधानित कुल राशि का 32% अर्थात संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि के 65 प्रतिशत तक

(ग) पहली दिसम्बर से 31 मार्च तक बजट में प्रावधानित राशि का 35 प्रतिशत अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि का शतप्रतिशत।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये योजना एवं गैर योजना मद मे सभी व्यय के लिये वित्त विभागीय पत्र सं० 2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2 में प्रावधानित बंधेज को निम्न के लिए पूर्णरूपेण शिथिल किया जाता है:-

(क) केन्द्र प्रायोजित योजना से संबंधित राशि

(ख) 14वें वित्त आयोग से संबंधित राशि

(ग) पंचम राज्य वित्त आयोग से संबंधित राशि

(घ) ऊर्जा विभाग की उदय योजना

3. विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के अन्य प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे। सभी नियंत्री पदाधिकारियों का ध्यान उपर्युक्त पत्र की कंडिका-18, 22, 23 एवं 24 की ओर आकृष्ट किया जाता है। प्रशासी विभाग द्वारा आवंटन के विरूद्व वास्तविक व्यय का मासिक अनुश्रवण किया जाय। क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यय प्रतिवेदन प्राप्त कर महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय ताकि विभागीय आँकड़ों और महालेखाकार के आँकड़ों के बीच भिन्नता न हों।

Pramod/sec-4/38

(51)

4. केन्द्र द्वारा प्रायोजित अथवा केन्द्रीय योजनागत योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में राशि की निकासी भारत सरकार से प्राप्त राशि की अधिसीमा तक बजट उपबंध के अधीन ही की जा सकेगी। राज्यांश पर भी राशि की निकासी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि के समानुपातिक राशि की सीमा के अधीन होगी।

5. कोषागारों की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली CTMIS के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार आवंटन और व्यय की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जा सकती है। सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे तत्काल प्रभाव से CTMIS का उपयोग कर अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को आवंटन/उपावंटन तथा व्यय की विवरणी प्रत्येक माह निकालकर उसकी समीक्षा करें ताकि सभी को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध हो और जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के पास अतिरेक आवंटन उपलब्ध हो उनसे राशि वापस लेकर अन्य कार्यालयों को दी जा सके।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रवि मित्तल)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-एम-4-09/2014................./वि०, पटना-15, दिनांक....................

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-एम-4-09/2014................./वि०, पटना-15, दिनांक....................

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजभवन सचिवालय/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/लोकायुक्त के सचिव, पटना/सचिव, लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-एम-4-09/2014................./वि०, पटना-15, दिनांक....................

प्रतिलिपि:- माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-एम-4-09/2014 2793 /वि०, पटना-15, दिनांक 4/4/16

प्रतिलिपि:- सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सभी संबंधित ई-मेल से प्रेषित करने तथा वित्त विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

4/4